रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 1995/भाद्र 7, 1917

No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1995/BHADRA 7, 1917

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1995

सं. 12-2/94-VCI/17092.—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 54) की धारा 66 की उप धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव) विनियम, 1995 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52)।

(ख) "परिषद" का अर्थ है भारतीय पशुचिकित्सा परिषद।

(ग) "फार्म" का अर्थ है इन विनियमों के साथ अनुबद्ध फार्म।

(घ) "सदस्य" का अर्थ है परिषद का सदस्य।

(ङ) "अध्यक्ष" का अर्थ है परिषद का अध्यक्ष।

(च) "रिटर्निंग अधिकारी" का अर्थ है इन विनियमों के प्रयोजन के लिए परिषद के सचिव।

(छ) "उपाध्यक्ष" का अर्थ है परिषद के उपाध्यक्ष।

3. अध्यक्ष का चुनाव (1) परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव, चुनाव के समय उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने ही बीच में उपस्थित सदस्यों में से किया जाएगा।

(2) परिषद् का सचिव, जो इस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यों का निष्पादन भी करेगा, परिषद् के प्रत्येक सदस्य को चुनाव की तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा।

Scanned by CamScanner

(3) (i) अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए कोई भी उपस्थित सदस्य किसी दूसरे उपस्थित सदस्य के नाम का प्रस्ताव करने का हकदार होगा।

(ii) प्रस्ताव का समर्थन, प्रस्तावक अथवा जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव किया गया है, उन्हें छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।

परन्तु यह कि एक सदस्य केवल एक सदस्य के नाम का प्रस्ताव अथवा समर्थन करने का हकदार होगा।

(4) कोई भी उम्मीदवार वास्तविक चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले सकता है।

(5) यदि केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का यथोचित रूप से प्रस्ताव तथा समर्थन किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे उम्मीदवार के संबंध में उसको यथोचित रूप से निर्वाचित किए जाने की घोषणा तुरन्त ही फार्म "ख" में करेगा।

(6) यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव तथा समर्थन किया जाता है तो उस स्थिति में अध्यक्ष का चुनाव गोपनीय मतदान द्वारा किया जाएगा।

(7) चुनाव प्रारंभ करने से पहले, रिटर्निंग अधिकारी मत पेटी की जांच करने के लिए सदस्यों, यदि वे ऐसा चाहे, को आमंत्रित करेगा और तत्पश्चात् वह मत-पेटी को ताला बन्द कर देगा।

(8) (i) वास्तविक चुनाव के समय, बैठक में उपस्थित सभी सदस्य वर्णानुक्रम में तैयार की गई सूची में एक-एक करके अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेंगे। यह सूची मतपेटी के समीप रखी हुई होती है।

(ii) उपरोक्त सूची में सदस्य के नाम के सामने उसके हस्ताक्षर होने के बाद, उसे फार्म "क" में मतपत्र दिया जाएगा। इसके बाद सदस्य इस मतपत्र पर अपनी इच्छा के अनुसार उम्मीदवार के नाम के सामने क्रास (×) का निशान लगाकर उसे मतपेटी में डाल देगा।

(9) जैसे ही सभी सदस्य और मत देने के इच्छुक सदस्य अपने-अपने मत दे दें, वैसे ही रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों के सम्मुख, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना चाहे, मतपेटी खोलेगा और सभी मतपत्रों को मतपेटी से निकालेगा तथा उनकी जांच करेगा और ऐसे किसी भी मतपत्र को अवैध घोषित करके उसे अस्वीकार कर सकता है, यदि—

(क) मतपत्र में रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर न हों, [illegible]

[illegible] इस मतपत्र [illegible] हस्ताक्षर [illegible] है या उसमें [illegible] शब्द या निशान बना देता है जिससे यह पता चलता है कि यह उसका मतपत्र है; अथवा

(ग) उसमें कोई मत न दिया गया हो, अथवा

(घ) मतदाता ने मतपत्र में अपना मत इस तरह से अंकित किया हो कि उससे यह स्पष्ट न होता हो कि मत किस उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है; अथवा

(ङ) मत एक से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में दिया गया हो।

(10) (i) इसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों के अनुसार वैध मतों को व्यवस्थित करेगा जिनके पक्ष में मत डाले गए हैं और तत्पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार के मतों की पृथक-पृथक रूप से गणना करेगा।

(ii) मतगणना पूरी हो जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के संबंध में बैठक में घोषणा करेगा।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी अधिकतम वैध मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को परिषद् के अध्यक्ष के रूप में यथोचित से रूप निर्वाचित किए जाने की फार्म "ख" में घोषणा करेगा।

(iv) यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक समान मत प्राप्त करते हैं और यह संख्या, समान मत प्राप्त करने वाले उन दो उम्मीदवारों के अतिरिक्त किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे उम्मीदवारों के बीच निर्धारण ड्रा के माध्यम से किया जाएगा और जिसके पक्ष में ड्रा निकलेगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

4. उपाध्यक्ष का चुनाव:—उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए विनियम-3 में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित उपबन्ध "आवश्यक परिवर्तन" सहित लागू होंगे।

सी. के. वासदेव, कार्यवाहक सचिव

दिनांक : 21-3-1995

अनुवाद, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

फार्म "क"

(अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव)

[कृपया विनियम 3(8)(ii) और 4 देखें]

मतपत्र

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	(×) का निशान लगाने के लिए स्थान

*जो लागू न हो,
उसे काट दिया जाए

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

अनुदेश

1. प्रत्येक मतदाता को केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

2. मतदाता जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहता है उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से (×) का निशान लगाएगा।

फार्म "ख"

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव

[कृपया विनियम 3 का उप विनियम (5) और (10) (iii) और विनियम 4 देखें]

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री ...., जो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के सदस्य हैं, को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उप धारा (4) के अधीन यथोचित रूप से उक्त परिषद् का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष* निर्वाचित किया गया है।

स्थान :   रिटर्निंग अधिकारी

तारीख :

*जो लागू न हो, उसे काट दिया जाए।

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1995

No. 12-2194-VCI/17092.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) read with clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India, with previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short-title and commencement.—(1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (Election of the President and Vice-President) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) 'Council' means the Veterinary Council of India;

(c) 'Form' means a form annexed to these regulations;

(d) 'Member' means a member of the Council;

(e) 'President' means the President of the Council;

(f) 'Returning Officer' means the Secretary of the Council for the purpose of these regulations;

(g) 'Vice-President' means the Vice-President of the Council.

3. Election of President—

(1) The President of the Council shall be elected by the members present at the time of election, from amongst themselves.

(2) The date, time and place of the election shall be intimated, to each of the member of the Council by the Secretary of the Council, who shall also perform the functions of the Returning Officer for this purpose.

(3) (i) Any member present shall be entitled to propose the name of any other member present, for election as the President.

(ii) The proposal shall be required to be seconded by a member other than the proposer or the one whose name is proposed :

Provided that one member shall be entitled to propose or second only one name.

(4) Any candidate may withdraw his candidature before the actual election.

(5) If the name of only one candidate is duly proposed and seconded, the Returning Officer shall forth with declare, in form 'B', such candidate as duly elected.

(6) If the number of candidates proposed and seconded exceeds one, an election shall be held by secret ballot.

(7) Before the commencement of the election, the Returning Officer shall invite the members to inspect the ballot box, in case they like to do so, and he shall then lock the ballot box.

(8) (i) At the time of actual election, the members present in the meeting shall, one by one, sign against their name in the list containing names of all the members in alphabetical order and placed alongside the ballot box.

(ii) After a member has signed against his name in the list afore-mentioned he shall be given a ballot paper in form 'A' which he shall drop into the ballot box after affixing thereon a cross (x) mark against the name of the candidate of his choice.

(9) As soon as all the Members present and wishing to exercise the right to vote have done so, the Returning Officer shall, in the presence of the candidates who may be present in person, open the ballot box and take out from it all the ballot papers, examine them and reject as invalid any ballot paper—

(a) if it does not bear the signature of the Returning Officer; or

(b) if the member signs his name or writes any word or make any mark on it by which it becomes recognisable as his ballot paper; or

(c) if no vote is recorded thereon; or

(d) if the vote is recorded in such a manner as to make it doubtful as to which candidate the vote has been given; or

Scanned by CamScanner

(e) if the vote has been given in favour of more than one candidate.

(10) (i) The Returning Officer shall then proceed to arrange the valid votes according to the candidates in whose favour they have been cast and count them separately for each candidate.

(ii) After the counting is over, the Returning Officer shall make an announcement in the meeting about the votes secured by each of the candidates.

(iii) The Returning Officer shall declare, in form 'B', the candidate securing the highest number of valid votes as duly elected to be the President of the Council.

(iv) In the event of two or more candidates securing the same number of votes and that number being more than the number of votes secured by any candidate other than the two or more securing the same number of votes, the determination as between such candidates shall be draw of lots and the candidate on whom the lot falls, shall be declared elected.

4. Election of Vice-President.—The provisions regarding election of President specified in regulation 3 shall 'mutatismutandis' apply to the election of the Vice-President.

C. K. VASDEV, Acting Secy.

Dated : 21-8-95

FORM 'A'

Election of President|Vice-President *

[See regulation 3 (8) (ii) and 4]

Ballet Paper

S. No.	Name of the Candidate	Space for affixing (X)

*Score out what is inapplicable.

Signature of the Returning Officer

Instructions

1. Each elector has only one-Vote.
2. The elector shall place the mark (X) clearly opposite the name of the candidate of his choice.

FORM 'B'

Election of President|Vice-President *

[See sub-regulations (5) and (10)(iii) of regulation 3 and regulation 4]

I hereby declare that———— a member of the Veterinary Council of India, has been duly elected, under sub-section (4) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 to the office of the President|Vice-President * of the said Council.

Returning Officer

Place————

Date————

* Score out what is inapplicable.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995

Scanned by CamScanner